भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-582
दिनांक 6 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

केरल की विद्युत मांग

582. डॉ शशि थरूर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की केरल की ग्रीष्म विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड के तालचेर-।। स्टेशन से केरल को विद्युत के आवंटन को 180 मेगावाट (एमडब्ल्यू) से बढ़ाकर 400 मेगावाट करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार एनटीपीसी बाढ़ ताप विद्युत केंद्र से केरल को जून, 2025 तक मौजूदा 177 मेगावाट के आवंटन को बढ़ाकर मार्च, 2025 तक 400 मेगावाट करने का विचार रखती है क्योंकि इससे गर्मियों में बिजली की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र से केरल को 350 मेगावाट विद्युत आवंटित करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से विद्युत आवंटन के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार**,** ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 10% विद्युत गृह राज्य को आवंटित की जाती है**,** 15% विद्युत अनावंटित होती है तथा केंद्र सरकार के अधीन रहती है। शेष 75% विद्युत उस क्षेत्र के राज्यों के बीच निश्चित अनुपात में निश्चित हिस्सेदारी के रूप में वितरित की जाती है। यदि उस क्षेत्र का कोई घटक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने हिस्से या निश्चित हिस्सेदारी में उस हिस्से को लेने से इनकार करता है, तो उसे क्षेत्र के बाहर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया जाता है।

एनटीपीसी लिमिटेड के तालचेर-II स्टेशन (2000 मेगावाट क्षमता) की विद्युत**,** विद्युत आवंटन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की गई है। केरल को तालचेर-II ताप विद्युत स्टेशन (टीपीएस) से 247 मेगावाट विद्युत आवंटित की गई है, जो कि उसके निश्चित हिस्से के रूप में है, इसके अतिरिक्त भारत सरकार के अनावंटित हिस्से में से 181.74 मेगावाट विद्युत भी आवंटित की गई है।

बाढ़-II (1320 मेगावाट क्षमता) ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य में स्थित है और इसकी सम्पूर्ण विद्युत पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की जाती है। विद्युत आपूर्ति की स्थिति को आसान बनाने के लिए, भारत सरकार ने इस ताप विद्युत स्टेशन से झारखंड और सिक्किम के सरेंडर किए गए हिस्से में से 177 मेगावाट विद्युत केरल को दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 31.03.2025 की अवधि के लिए आवंटित की है। इसके अतिरिक्त, विद्युत की मांग में बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, भारत सरकार ने इस आवंटन को दिनांक 30.06.2025 तक बढ़ा दिया है।

(ग) : केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आवंटन के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार**,** परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए**, 50%** विद्युत गृह राज्य को आवंटित की जाती है**,** 15% विद्युत अनावंटित होती है और केंद्र सरकार के अधीन रहती है। शेष 35% विद्युत क्षेत्र के राज्यों के बीच एक निश्चित अनुपात में निश्चित हिस्से के रूप में वितरित की जाती है। यदि क्षेत्र का कोई घटक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी निश्चित हिस्सेदारी या उसके हिस्से का लाभ लेने से इनकार करता है, तो उसे क्षेत्र के बाहर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देने की पेशकश की जाएगी।

उत्तरी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आवंटन दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन की यूनिट-7 एवं 8 से सम्पूर्ण 1400 मेगावाट विद्युत पहले ही आवंटित की जा चुकी है।

****